

गीत एवं नाट्य “योजनान्तर्गत”
सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन

नियमावली - 2002



उत्तराखण्ड शासन

सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली-2002

उद्देश्य - शासन की नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों तथा कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण एवं संचालन।

कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तराखण्ड या आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के बाहर।

परिभाषा

विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है जो उनके सामने दिया जा रहा है:-

- (क) “राज्य” का अर्थ है उत्तराखण्ड राज्य।
- (ख) “सरकार” का अर्थ है उत्तराखण्ड सरकार।
- (ग) “सचिव” का अर्थ है सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
- (घ) “महानिदेशक” का अर्थ है महानिदेशक सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- (ङ) “अधिशायी निदेशक” का अर्थ है अधिशायी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड।
- (च) “विभाग” का अर्थ है सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- (छ) “सांस्कृतिक दल” का अर्थ है सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल।

1. पंजीकरण प्रक्रिया: -

- (1) प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उत्तराखण्ड के प्रमुख समाचार पत्रों में सांस्कृतिक दलों के चयन हेतु विज्ञापन दिया जायेगा।
- (2) पंजीकरण हेतु दलों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) में आवेदन करना होगा। दलों के चयन/साक्षात्कार हेतु विषय आवेदन पत्र के साथ ही लिए जायेंगे। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे।

आवेदन पत्र भरे जाने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक दलों के आकार की दृष्टि से निर्धारित सदस्य संख्या की तालिका:-

विधा	मुख्य कलाकार	अतिरिक्त कलाकार
(क) भजन, कव्वाली	4 (एक महिला कलाकार को वरीयता)	एक
(ख) कठपुतली	3 -तदैव-	एक
(ग) जादू	3 -तदैव-	एक
(घ) लोकगीत	6 (दो महिला कलाकार)	2 (एक महिला कलाकार)
(च) लघु सांस्कृतिक दल	8 (दो महिला कलाकार)	2 (एक महिला कलाकार)
(छ) वृहद सांस्कृतिक दल	12 (चार महिला कलाकार)	4 (दो महिला कलाकार)
(ज) नाटक/नौटंकी/नुक्कड़ नाटक	12 (चार महिला कलाकार)	4 (दो महिला कलाकार)

(3). सांस्कृतिक दलों के साक्षात्कार हेतु विधा विशेषज्ञों की चयन समिति के गठन में उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार के निम्नलिखित विभागों के विधा विशेषज्ञ सदस्य हैं:-

1. महानिदेशक या अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, अध्यक्ष
2. आकाशवाणी, भारत सरकार का प्रतिनिधि, (निकटस्थ केन्द्र) सदस्य
3. दूरदर्शन केन्द्र, भारत सरकार का प्रतिनिधि, (निकटस्थ केन्द्र) सदस्य
4. भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय का प्रतिनिधि सदस्य
5. गीत नाट्य प्रभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधि सदस्य
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड का प्रतिनिधि सदस्य
7. उपनिदेशक (गी0-ना0), सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड सचिव/संयोजक
8. उपर्युक्त सदस्यों के साथ ही इस समिति के अध्यक्ष की अनुशंसा पर अन्य दो विशेष विधा विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जायेगा, जो क्षेत्रीय लोक संगीत, लोक परम्पराओं एवं लोकसंस्कृति के विशेषज्ञ हों।

(4). चयन समिति दलों के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप उन्हें प्राप्त प्राप्तांक/प्रतिशत के आधार पर निम्नवत तालिका के अनुसार तीन (अ,ब,स) श्रेणियों में विभाजित करेगी।

प्राप्तांक प्रतिशत	श्रेणी
(क) 81 प्रतिशत व इससे अधिक अंक पाने वाले दल	अ
(ख) 66 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाले दल	ब
(ग) 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक अंक पाने वाले दल	स

(5) चयन/साक्षात्कार में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चयन समिति द्वारा अंक दिये जायेंगे:-

- (क) मंच-व्यवस्था, मंच सामग्री,
- (ख) वेश-भूषा,
- (ग) संगीत पक्ष,
- (घ) विषय की समझ,
- (ङ) प्रस्तुतीकरण।

(6) विभिन्न विधाओं के दलों के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक कार्यक्रम हेतु पारिश्रमिक की विवरणिका:-

(समय-समय पर महंगाई को देखते हुए परिवर्तनीय)

दल का विवरण	सदस्य संख्या	अ	ब	स
1. भजन/कव्वाली/कठपुतली	4	3200	2800	2400
2. जादू	3	2400	2100	1800
3. लोकगीत	6	4800	4200	3600
4. लघु सांस्कृतिक दल	8	6400	5600	4800
5. वृहद सांस्कृतिक दल	12	9600	8400	7200
6. नाटक/ नौटंकी/ नुक्कड़ नाटक	12	9600	8400	7200

(7) दल के चयन/साक्षात्कार के समय दल विवरण एवं प्रदत्त घोषणा पत्र (परिशिष्ट-2) भरना अनिवार्य है।

(8) साक्षात्कार एवं स्वर परीक्षण तथा प्रदर्शन हेतु प्रत्येक दल को 15 मिनट का समय दिया जायेगा।

2. नियम व शर्तें:-

1. दल नेता द्वारा दल के कलाकारों की दस गुरप फोटो (कैबिनेट साइज) एवं सभी कलाकारों की एक-एक फोटो (टिकट साइज- 1.5" ग 1.5") सहमति पत्र के साथ साक्षात्कार के समय जमा करनी होगी।

2. पंजीकृत दल को शासकीय आवश्यकता एवं उचित मांग के अनुसार ही कार्यक्रम आवंटित किए जायेंगे। दल को कार्यक्रम करने के लिए प्रदेश के किसी भी भाग/क्षेत्र में भेजा जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, आवंटित कार्यक्रमों का किया जाना अनिवार्य है। कार्यक्रम न करने पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

3. कार्यक्रम शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए और उसकी अवधि दो से तीन घंटे अनिवार्य है।

4. एक दिन में केवल एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी, उपनिदेशक, सहायक निदेशक तथा जिला सूचना अधिकारी से आदेश प्राप्त कर एक दिन में दो कार्यक्रम भिन्न-भिन्न स्थानों और समय पर किए जा सकते हैं।

5. कार्यक्रम के समय दल नेता की उपस्थिति अनिवार्य है।

6. प्रदर्शन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना: -

(क) दल- जिलाधिकारी/विभागीय अधिकारी/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी आदि द्वारा मांगे गये कार्यक्रमों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिकारी से ही प्राप्त करेंगे। इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में दल अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी से प्रदर्शन प्रमाण पत्र यह अंकित कराते हुए प्राप्त कर सकते हैं कि सम्बन्धित अधिकारी जिले में उपस्थित नहीं हैं।

(ख) दल, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा मांगे गये कार्यक्रमों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र इन्हीं अधिकारियों से प्राप्त करेंगे।

(ग) दल, पंचायत स्तर से मांगे गये कार्यक्रमों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से प्राप्त करेंगे।

(घ) स्वैच्छिक-सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा वांछित कार्यक्रमों के प्रदर्शन प्रमाण पत्र संगठन के लैटर हैड पर इन संगठनों के अध्यक्ष/संयोजक/सचिव से प्राप्त करेंगे।

(ड) दल माननीय मंत्री, सांसद एवं विधायक द्वारा मांगे गये कार्यक्रमों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र उसी स्तर के व्यक्तियों से प्राप्त करेंगे।

खण्ड (ग) व (घ) स्तर से प्राप्त प्रदर्शन प्रमाण पत्र को दल सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी यथा सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर सूचना निदेशालय द्वारा निर्धारित देयक में पारिश्रमिक के भुगतान हेतु कार्यक्रम करने के 18 दिनों के अन्दर सूचना निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

7. दल को विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम करने से सम्बन्धित स्थान का, जहां कार्यक्रम किया गया है, 'फीड बैक रिपोर्ट' तथा सम्बन्धित संस्था के आयोजन के उद्घाटन के समय दल के सभी कलाकार शामिल हों तत्सम्बन्धी 'फोटोग्राफ' भी यथासंभव देयक के साथ लायेंगे। 'फीड बैक रिपोर्ट' संतोषजनक होने पर ही देयक का भुगतान किया जायेगा। फीड बैक रिपोर्ट का प्रोफार्मा (परिशिष्ट-3)

8. दल के किसी भी कलाकार को बदलने का अधिकार केवल अधिशासी निदेशक/सक्षम अधिकारी को होगा।

9. विभाग में पंजीकृत सभी सांस्कृतिक दलों के लिए दुर्घटना बीमा कराना अनिवार्य है।

10. वित्तीय वर्ष में यदि कोई दल तीन बार कार्यक्रम करने से मना करता है, तो उसके दल को भविष्य में कार्यक्रम देना बन्द कर दिया जायेगा तथा पंजीकरण निरस्त करने पर भी विचार किया जायेगा।

11. अल्प सूचना पर भी दल का आवंटित किये गये कार्यक्रम को करना अनिवार्य होगा।

12. दल का यह अधिकार नहीं होगा कि दल का पंजीकरण होने पर उसको कार्यक्रम आवंटित ही किये जाएं। कार्यक्रम प्रचार-प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए ही आवंटित किए जायेंगे।

13. विभाग द्वारा जारी सभी कलाकारों के परिचय पत्र उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिस दल के पास परिचय-पत्र नहीं होंगे, उस दल से कार्यक्रम नहीं कराया जायेगा। तथा दल को किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

14. पंजीकृत दल कार्यक्रम आवंटन स्थल पर सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के नाम का बैनर अवश्य लगायेगा।

15. दल को चयन/साक्षात्कार हेतु वाद्य यंत्रों सहित पूर्णरूपेण तैयार होकर आना होगा।

16. किसी भी दल का पंजीकरण किसी भी दशा में बिना चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए, निर्धारित अवधि के पहले या बाद में नहीं होगा।

17. किसी भी तरह की अनुशंसा दल की अयोग्यता मानी जायेगी।

3. संचालन:-

1. विभाग सांस्कृतिक दलों के चयन का आयोजन कुमायूं तथा गढवाल मण्डल के अलग-अलग स्थानों पर करेगा। चयन स्थलों का निर्धारण तात्कालिक स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा किया जायेगा।

2. विभाग द्वारा सांस्कृतिक दलों को आवंटित कार्यक्रमों की सूचना सम्बन्धित जिले के जिला सूचना अधिकारी को अवश्य दी जायेगी।

3. दलों के चयन के बाद उसके प्रत्येक सदस्य से सम्बन्धित परिचय पत्र विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। जिसे शासकीय कार्यक्रम करने के क्रम में जिला स्तरीय अधिकारी यथा उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी अवश्य देखेंगे। जिन दलों के पास परिचय पत्र उपलब्ध नहीं होंगे उनसे कार्यक्रम न कराया जाये। दल को वापस कर दिया जाय और उक्त कार्यक्रम से सम्बन्धित किसी प्रकार के भुगतान की संस्तुति न की जाये।

4. जिलों में सांस्कृतिक दलों द्वारा किये गये कार्यक्रमों की सूचना एवं उन पर टिप्पणी जिला सूचना कार्यालय महीने के प्रथम पखवारे में सूचना निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

5. विभिन्न विभागों से सम्बन्धित योजनाओं की कार्यशाला के लिए नोडल विभाग, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड होगा। कार्यशाला पर आने वाला व्यय सम्बन्धित विभाग वहन करेगा। सम्बन्धित विभाग प्रशिक्षित दलों से ही कार्यक्रम करायेगा और अपने स्तर से भुगतान भी करेगा।

6. विश्व बैंक परियोजना तथा सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी संस्थान सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में पंजीकृत दलों से ही कार्यक्रम करायें।

7. पंजीकृत सांस्कृतिक दलों का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण प्रशासनिक अधिकारी (गीत-नाट्य)/सहायक निदेशक/उपनिदेशक (गीत एवं नाट्य) द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. एक वित्तीय वर्ष में ₹0 साठ हजार तक के कार्यक्रम ही किसी दल को दिये जायें विशेष परिस्थिति में रुपये साठ हजार से ऊपर के कार्यक्रम किसी दल को देने हेतु अधिशासी निदेशक से स्वीकृति अलग से प्राप्त की जाये।

9. दल का पंजीकरण निरस्त किये जाने की परिस्थितियां:-

1. पंजीकृत सांस्कृतिक दल की मान्यता किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधिशासी निदेशक, सूचना का होगा। दल का किसी भी समय आकस्मिक भौतिक निरीक्षण सूचना निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारी

(गीत-नाट्य)/सहायक निदेशक/ उपनिदेशक (गीत-नाट्य) द्वारा किया जा सकता है। दल में अनुमोदित कलाकारों द्वारा कार्यक्रम न किये जाने तथा कार्यक्रम का प्रदर्शन स्तर गिरने पर, दल से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर दल को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।

2. पंजीकरण अवधि के भीतर कार्यक्रम एवं प्रदर्शन स्तर का पुनः निरीक्षण करने के लिए, किसी भी तिथि अथवा स्थान या मुख्यालय पर दल को बुलाया जा सकता है। इस प्रदर्शन में दल के वे सभी कलाकार सम्मिलित होंगे जो परीक्षण/साक्षात्कार के समय थे, इसके लिए किसी भी प्रकार का व्यय दल को देय नहीं होगा। कार्यक्रम का प्रदर्शन स्तर गिरा होने पर दल का निर्धारित अवधि से पहले पंजीकरण समाप्त करने अथवा बनाये रखने का अधिकार अधिशासी निदेशक/सक्षम अधिकारी होगा।

3. दल द्वारा अपनी सहमति तथा कार्यादेश प्राप्त करने के बाद यदि कार्यक्रम नहीं किया जाता है तो दलनेता से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा, संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर व्यय की वसूली दलनेता से की जायेगी तथा भविष्य में दल को कार्यक्रम देना बन्द कर दिया जायेगा, साथ ही दल का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।

4. विभाग द्वारा पंजीकृत दल अनुमोदित कार्यक्रम के स्थान पर फूहड़ और अश्लील कार्यक्रम का प्रदर्शन करने पर तथा विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों का निरीक्षण उपनिदेशक/सहायक सूचना निदेशक/जिला सूचना अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त असंतोषजनक रिपोर्ट पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

10. आयोजकों से अपेक्षाएं:-

1. प्रदर्शनरत दल के सदस्यों की सुरक्षा, आवास, भोजन एवं पी0ए0 सिस्टम सहित मंच की यथा संभव व्यवस्था आयोजक स्वयं करेंगे।

2. आयोजक विद्यालयों में कार्यक्रम प्रदर्शन हेतु कृपया वृहद सांस्कृतिक दल न मांगकर शिक्षात्मक कठपुतली व जादू दल ही मांगें। विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप अन्य सांस्कृतिक दलों की मांग की जा सकती है।

3. आयोजक की मांग पर ही विभाग कार्यक्रम आवंटित करता है। अतः आयोजक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के नाम का उल्लेख अपनी प्रचार सामग्री में अवश्य करेंगे। आयोजक दलों से आयोजन स्थल पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग का बैनर लगाया जाना सुनिश्चित करा लें।

4. कार्यक्रम मांगकर्ता अपने लेटर-हेड पर ही कार्यक्रम की मांग करें। जिलों की मांग सम्बन्धित जिलों के जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से ही भेजी जाए। ग्राम प्रधान व ब्लाक प्रमुख अपने मांग-पत्र मुख्यालय को सीधे भेज सकते हैं।

5. विभागीय कर्मचारी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत किये गये मांग-पत्र पर यह सत्यापित करना होगा कि वह अपनी देख-रेख में कार्यक्रम करवायेगा।
6. मांगकर्ता को कम से कम 15 दिन पूर्व अपना आवेदन-पत्र देना होगा, तभी दल भेजना संभव होगा।
7. दलनेता द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने के बाद बगैर किसी सूचना के कार्यक्रम न करने की स्थिति में मांगकर्ता द्वारा विभाग से शिकायत करने पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। केवल दैवी आपदा वाले मामले में यह लागू नहीं होगा।
8. गैर-पंजीकृत दलों से सांस्कृतिक कार्यक्रम न कराये जायें।
9. आयोजक कार्यक्रम प्रस्तोता दल को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करेंगे।

उत्तराखण्ड सरकार सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग

(गीत एवं नाट्य प्रभाग)

दल चयन हेतु आवेदन-पत्र

फार्म संख्या:

1. दल का नाम विद्या

2. दल के सदस्यों की संख्या महिला पुरुष कुल

3. दल नेता का नाम

4. शैक्षिक योग्यता जन्म तिथि

5. पता- (अ) स्थाई पता

(ब) पत्र व्यवहार का पता

(स) दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित)

6. दल में प्रयोग होने वाले वाद्य यन्त्रों का विवरण:-

7. क्या दल पूर्व में पंजीकृत था ?

(यदि पंजीकृत था तो निम्न को भरें)

(अ) यदि कलाकार हटाये जा रहे हैं तो कारण स्पष्ट करें।

.....

(ब) क्या सभी कलाकार पूर्व के ही हैं ?

(स) पूर्व के कलाकारों के परिचय पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें।

.....

8. आवेदन पत्र के साथ सभी कलाकारों की शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि प्रमाण पत्र तथा दो अलग-अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी अनिवार्य है।

9. दल नेता के रूप में सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते, दल नेता में शासकीय नीति पर आधारित रोचक एवं सुन्दर स्क्रिप्ट बनाने की क्षमता हो।

10. सांस्कृतिक दल यदि निर्धारित तिथि को चयन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। तो बाद में दल को शामिल किया जाना संभव नहीं होगा।

11. दल के ऑडिशन के लिए 15 से 20 मिनट का समय दिया जायेगा।

12. दल में शामिल सरकारी कर्मचारियों का कार्यरत विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

13. दल के बैंक का नाम खाता संख्या

14. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले दल में शामिल कलाकारों की नंबरिंग करते हुए पोस्टकार्ड साईज गुरप फोटोग्राफ संलग्न करें।

15. ऊपर संलग्न फोटो में अंकित नम्बरिंग के अनुसार नीचे सभी कलाकारों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अंकित करें:-

नाम	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	हस्ताक्षर
-----	-----------	-----------------	-----------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

अतिरिक्त कलाकार

1.

2.

3.

4.

नोट: चार कलाकारों के दल हेतु एक अतिरिक्त, 6 से 8 कलाकारों के दल को 2 अतिरिक्त तथा 12 कलाकारों के दल को 4 अतिरिक्त कलाकार रखने हेतु अनुमति है।

प्रमाण-पत्र

(दलनेता द्वारा भरा जाये)

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र में दिये गये सभी बिन्दुओं को सही रूप से भरा है तथा सभी वांछित सामग्री संलग्न कर दी है। यदि मेरे आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मेरे दल को आडीशन में शामिल न किया जाय। यदि त्रुटि का बाद में पता चलता है तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाये तमाम त्रुटियों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दलनेता के हस्ताक्षर

दल का नाम

पता

.....
.....

आवश्यक निर्देश

योग्यता परीक्षण के समय प्रत्येक दल को स्वास्थ्य शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाल अधिकार, नशा उन्मूलन (ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थ) विकास और प्रगति, बच्चों का टीकाकरण, शिक्षा, बालिका शिक्षा, दहेज उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आदि के अतिरिक्त समय-समय पर शासन की नीतियों के अनुरूप प्रचार गीत, नाटक, नृत्य, कठपुतली, जादू आदि विधाओं में तैयार कर प्रस्तुत करने होंगे। प्रस्तुति कलापूर्ण आकर्षक व स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली होनी चाहिए।

.....

प्राप्ति रसीद एवं प्रवेश-पत्र

1. आपका आवेदन पत्र आज दिनांक का हुआ। प्रार्थना पत्र में
..... कमी है। अतः आपका आवेदन-
पत्र निरस्त किया जाता है।
2. आपका आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से सही है अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपका आडीशन दिनांक
..... को बजे सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के
..... में होगा। कृपया समय से उपस्थित सुनिश्चित करें। इस आडीशन में
शामिल होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय आदि देय नहीं होगा।

उप निदेशक।

गीत-नाट्य योजना
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परीक्षण तिथि

दल विवरण एवं प्रदत्त घोषणा-पत्र

दल का नाम एवं पता

.....

दलनेता का नाम

दल की विधा

दल के सदस्यों की संख्या (अ) पुरुष (ब) महिला

क्रम संख्या	कलाकार का नाम	आयु	हस्ताक्षर
-------------	---------------	-----	-----------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

अतिरिक्त कलाकार

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं इस घोषणा-पत्र में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी।

दलनेता के हस्ताक्षर

दल नेता का नाम

दल का नाम

पता

.....

आपके दल में यदि कोई शासकीय सेवारत हो तो अपने पद एवं विभाग के नाम का भी उल्लेख निम्नानुसार करें। साथ ही यह भी घोषणा करें कि उसने सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र ले लिया है।

कलाकार कर्मचारी का नाम तथा कार्यरत विभाग

1.
2.
3.
4.

दलनेता के हस्ताक्षर

दलनेता का नाम

गीत-नाट्य योजना
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

फीडबैक रिपोर्ट

1. दल का नाम
2. दल के मुखिया का नाम
3. कार्यक्रम की तिथि
4. समय
5. विषय
6. कार्यक्रम का स्थान
7. जिला
8. दर्शक संख्या लगभग
9. विधा
10. किसके सहयोग से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया
11. कार्यक्रम के प्रति जन प्रतिक्रिया
12. विकास योजनाओं का नाम जिसका व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञात हो
13. योजना का नाम जिससे व्यक्ति लाभार्थी हो
14. योजना के विषय में विचार
15. विकास योजनाओं के विषय में सामान्य विचार
16. ग्रामसभा में चल रही योजनाओं के विषय में जिसका ज्ञान व्यक्ति को हो
17. योजना विकास व्यक्ति की आशाएँ
18. कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या (महिला/पुरुष)
19. कार्यक्रम के सम्बन्ध में राय (उत्तम/अतिउत्तम/सर्वोत्तम/खराब)
20. वहां के दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर
 1.
 2.
21. अन्य विवरण प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर
दिनांक नाम/पद
विभाग/स्थान

परिशिष्ट-4

संख्या-54/सु0अ0/2002

प्रेषक,

एन0एन0प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग:

देहरादून: दिनांक 12 अगस्त, 2002

विषय: सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली, 2002

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन की योजनाओं, नीतियों, निर्णयों तथा उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने में गीत एवं नाट्य योजना एक सशक्त एवं जीवन्त माध्यम है। अधिक उपयुक्त होगा कि इस सम्बन्ध में स्थायी नियमावली निर्धारित कर प्रचार एवं प्रसार कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित किया जाए।

अतएव उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल "सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली-2002" (संलग्नक) जारी किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय, (ह. अस्पष्ट)

(एन0एन0प्रसाद)

सचिव, सूचना

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4. प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सू.एवं.लो.सं.वि., उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. सूचना अनुभाग।
9. एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।
10. उपनिदेशक, राजकीय, मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस नियमावली को राजकीय गजट असाधारण के भाग-4, खण्ड-ख में दिनांक: 12.08.2002 को प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(ह. अस्पष्ट)

(एन0एन0प्रसाद)

सचिव, सूचना